बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र सं0:- ICDS/40025/24-2017/ 30

स्वीकृत्यादेश

(संख्या ...../2018-19)

प्रेषक,

विजय रंजन,
सरकार के संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा- वित्त विभाग

पटना, दिनांक - 8.10.18

विषय :- **ऑगनबाडी सेवाएँ (आई0सी0डी0एस0) के अंतर्गत ऑगनबाडी केन्द्रों (मिनी ऑगनबाडी सहित) के माध्यम से सामान्य/कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/शिशुवती महिलाओं के पूरक पोषाहार के अबाध कार्यान्वयन हेतु 03 माह के व्यय के समतुल्य स्थाई अग्रिम राशि ₹4,07,31,82,275/- (चार अरब सात करोड़ एकतीस लाख बेरासी हजार दो सौ पचहत्तर) मात्र की स्वीकृति एवं डी0बी0टी0 के माध्यम से ऑगन निधि एप के द्वारा समेकित अभिश्रव के आधार पर राज्य स्तर (आई0सी0डी0एस0 निदेशालय) से निकासी करने की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाएँ संचालित है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 114718 ऑगनबाडी केन्द्रों (मिनी सहित) कार्यरत है एवं 114718 ऑगनबाडी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 06 माह से 06 वर्ष तक के सामान्य /कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/शिशुवती महिलाओं के लिये पूरक पोषाहार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 03 माह के व्यय के समतुल्य अग्रिम राशि **₹4,07,31,82,275/-** (चार अरब सात करोड़ एकतीस लाख बेरासी हजार दो सौ पचहत्तर) मात्र की आवश्यकता है। जिसे डी0बी0टी0 के माध्यम से ऑगन निधि एप के द्वारा समेकित अभिश्रव के आधार पर राज्य स्तर (आई0सी0डी0एस0 निदेशालय) से निकासी किया जाना है। उक्त ऑगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं को सामान्य रूप से वर्ष में 300 दिन (प्रति माह लगभग 25 दिन) तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर पूरक पोषाहार प्रदान करना प्रावधानित है। ए0सी0 विपत्र के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र के ससमय उपस्थापन की समस्या से निजात पाने के उद्देश्य से बिहार वित्तीय नियमावली 112 में स्थायी अग्रिम देने की व्यवस्था के तहत तीन माह का स्थायी अग्रिम की राशि उपलब्ध रहने से पोषाहार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई व्यवधान नहीं हो पायेगा। इस संदर्भ में राज्य स्तर (आई0सी0डी0एस0 निदेशालय) पर Paren A/C एवं जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम कार्यालय में Child A/C खोला जा चुका है।

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किये जाते हैं।

3. कुल भारित व्यय की राशि **₹4,07,31,82,275/-** (चार अरब सात करोड़ एकतीस लाख बेरासी हजार दो सौ पचहत्तर) मात्र लोक लेखा-2- के "मुख्य शीर्ष 8672-स्थायी नगद अग्रदाय (व्यय)-लघु शीर्ष -101, सिविल जमा-उप शीर्ष-0001–सिविल" के अन्तर्गत विकलनीय होगा। "इसका विपत्र कोड एल0 **8672001010001,** लोक लेखा व्यय शीर्ष है, जिसमें जमा और निकासी के लिए आवंटन की आवश्यकता नहीं होती है। 'स्थायी अग्रिम की राशि से पूरक पोषाहार के संचालन के लिए केन्द्रांश (50 प्रतिशत) एवं राज्यांश (50 प्रतिशत) की राशि का समानुपातिक व्ययन सुनिश्चित करना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

4. संबंधित विषय शीर्ष लोक लेखा की शीर्ष है। अतः राशि की निकासी हेतु आवंटन की आवश्यकता नहीं होगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्थानीय बैकल्पिक व्यवस्था के तहत गठित ऑगनबाडी विकास समिति से संबंधित पत्रांक 4309 दिनांक 01.08.14, पत्रांक 3177 दिनांक 05.08.15 तथा विभागीय पत्रांक 550 दिनांक 30.03.01, पत्रांक 6044 दिनांक 06.11.14, संकल्प ज्ञापांक 519 दिनांक 07.12.18 एवं पत्रांक 621 दिनांक 15.02.18 में निहित मार्गदर्शन सिद्धान्त एवं समय-समय पर निर्गत मार्गनिदेशों के अनुरूप ही पूरक पोषाहार का क्रय एवं वितरण सुनिश्चित करेंगें।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, **पत्रांक 2450 दिनांक 17.04.99, पत्रांक 41 वि (2) दिनांक 03.01.02** एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/ परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

6. उक्त स्थायी अग्रिम की राषि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा संशोधित दर के अनुसार पूरक पोषाहार हेतु प्रति सामान्य/कुपोषित बच्चा ₹8.00, अति कुपोषित बच्चों के लिए प्रति बच्चा ₹12.00 तथा गर्भवती/शिशुवती महिलाओं के लिए प्रति महिला **₹9.5**0 प्रतिदिन का प्रावधान है एवं उक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रति सामान्य आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु औसतन 6 माह से 3 वर्ष तक के 40 बच्चों (सामान्य, कुपोषित एवं अतिकुपोषित), 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के सामान्य, कुपोषित 40 बच्चों तथा 16 महिलाओं (गर्भवती/शिशुवती) अर्थात औसत 96 लाभार्थियों के लिए उक्त निर्धारित दर के आधार पर प्रतिमाह प्रति सामान्य ऑगनबाडी केन्द्र हेतु ₹21,000/- हेतु एवं मिनी ऑगनबाडी केन्द्र हेतु औसतन 6 माह से 3 वर्ष तक के 20 बच्चों (सामान्य, कुपोषित एवं अतिकुपोषित), 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के सामान्य, कुपोषित 20 बच्चों तथा 08 महिलाओं (गर्भवती/शिशुवती) अर्थात औसत 48 लाभार्थियों के लिए उक्त निर्धारित दर के आधार पर प्रतिमाह प्रति मिनी ऑगनबाडी केन्द्र हेतु ₹10,500/- की राशि आवश्यक है।

7. यह स्वीकृति संचिका संख्या- ICDS/40025/24-2017 के पृ0 सं0-30/टि0 पर मंत्रीपरिषद् की बैठक दिनांक 31.07.18 में दिये गये अनुमोदन के उपरान्त दी जा रही है।

8. यह स्वीकृति संचिका संख्या- ICDS/40025/24-2017 के पृ0 सं0-........./टि0 पर वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है। लोक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत राशि की निकासी के लिए मॉग संख्या एवं प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. संबंधित विभागों/पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जा रही है।

विश्वासभाजन
8/10/18
(विजय रंजन)
सरकार के संयुक्त निदेशक (मु0)।

ज्ञापांक- ICDS/40025/24-2017 /....30............../दिनांक- 8.10.18

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./समाज कल्याण विभाग, (बजट शाखा)/लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/10/18
सरकार के संयुक्त निदेशक (मु0)।

ज्ञापांक- ICDS/40025/24-2017 /....30............../दिनांक - 8.10.18

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/10/18
सरकार के संयुक्त निदेशक (मु0)।